सत्र प्रकरण कमांक 09/2020 **पक्षकार :– शासन वि. रेशमा साहू**

Witness No. ....05... for.....अभियोजन साक्षी क्र0 .... Deposition taken

the ....22-02-2020.....day of ….....मंगलवार...Witness,sapparent age.............25................

States on affirmation ....शपथ पर. My name is .. राकेश देशलहरे.................................

Son of ... श्री ईतवारी देशलहरे...................Occupation .... विद्यार्थी
address .... ग्राम कापसी, थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग (छ.ग.)

साक्ष्य प्रारंभ :– 01:15

1– मैं हाजिर अदालत आरोपिया रेशमा साहू को नहीं पहचानता हूॅ। घटना नवम्बर माह की है। घटना दिनांक को मैं अपने दोस्त प्रवीण सारंग, पल्लव देवांगन, पप्पू जोशी के साथ रायपुर से अपने घर ग्राम कापसी मोटरसायकल से जा रहे थे, महादेव घाट नदी पुल में एक महिला एवं पुरूष चिल्ला रहे थे बचाव–बचाव मेरे बच्चे को, नदी में गिर गया है, तभी में नदी में देखा कि, एक बच्चा डूब रहा था, मैं नदी में कूदकर बच्चा को किनारा में लाया और बच्चा के पिताजी को बच्चा सौंप दिया।

2– घटना स्थल के पास ट्राफिक पुलिसवाले थे, जिन्होंने मेरा नाम पूछा और मेरा मोबाईल नंबर लिये, उसके बाद मैं वहॉ से अपने घर चला गया। शाम को डीडी नगर थाना से फोन आया और थाना बुलाये, तब मैं थाना गया था, थाना में मुझसे घटना के बारे में पूछताछ किये थे और मेरा फोटो एवं मोबाईल नंबर लिये थे। मैंने, पुलिस को घटना के बारे में बताया था।

<u>**नोट**</u> **:– इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर, सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी। अभिलेख के अवलोकन पश्चात विचार बाद अनुमति दी गयी।**

3– यह कहना गलत है कि, आरोपिया अपने दो माह के बच्चे को जान से मारने की नीयत से नदी में फेंक दी थी। यह कहना गलत है कि, मैंने, पुलिस को अपना बयान <u>**प्रदर्श पी–08**</u> में आरोपिया द्वारा अपने दो माह के बच्चे को जान से मारने की नीयत से महादेव घाट खारून नदी में फेंक देने की बात बताया था, यदि उक्त बाते मेरे पुलिस बयान में लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि, मैं, आरोपिया को बचाने के लिये आज झूॅठा बयान दे रहा हूॅ।

<u>**प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री नीरज गुप्ता अधिवक्ता वास्ते अभियुक्ता**</u>

4– यह कहना सही है कि, मैंने अपने मुख्य परीक्षण में जो बताये बताया हूॅ, वही बात पुलिस को बताया था। यह कहना सही है कि, इसके अलावा अगर कोई और बात घटना के संबंध में पुलिसवाले ने मेरे बयान में लिखकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हो तो उसके बार में मैं नहीं बता सकता।

5— यह कहना सही है कि, मैं उक्त बातों के अलावा घटना के संबंध में कोई और बात नहीं जानता।

साक्ष्य समाप्त :— 01:35

वाचित / स्वीकृत ।	**मेरे निर्देशन में टंकित।**
सही / —	सही / —
(बी.आर. साहू)	**(बी.आर. साहू)**
षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश,	षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, छ0ग0	रायपुर, छ0ग0